कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 824 / रेनुकूट / 15–117 रेनुकूट,दिनांक,सितम्बर, 06 , 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे. आरक्षित वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे. आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 127.1637 हे. आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–383 / 11–सी–एफ.पी. / यू.पी. / आई.आर.आर.आई.जी / 20269 / 2016 दिनांक–10.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र, जो आपको सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें । उक्त पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या– 557 / रेनुकूट / 15 दिनांक– 14.08.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय पिपरी–सोनभद्र को सूचित किया गया था । अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–पिपरी, जिला–सोनभद्र ने अपने पत्र संख्या–749 / क.नि.ख.तृ. / वन भूमि / दिनांक– 26.08.2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है । उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 3 प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क. सं.	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्तियां	निराकरण
1	प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर पुनः 08 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है । कृपया प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न करते हुए आनलाईन भाग–2 में अपलोड करें तथा ऑनलाईन भाग–2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि आदि का विवरण भी फीड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण योजना का प्राक्कलन आनलाईन भाग–2 में अपलोड कराते हुए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है ।

2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की टोपोशीट संलग्न है किन्तु शीर्षक व लीजेण्ड पुनः अंकित नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में संलग्न टोपोशीट पर प्रस्तावक अभिकरण द्वारा शीर्षक व लीजेण्ड अंकित कर दिया गया है ।
3	ईको– क्ला–3 के अनुसार एन0पी0वी0. की गणना संलग्न है किन्तु दर पुनः त्रुटिपूर्ण आंगणित की गई है । अतः इको क्ला–3 एवं हरियाली धनत्व 0.3 के अनुसार निर्धारित दर रू. 6,26,000 रूपये प्रति हे0 की दर से गणना संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि पूर्व में हरियाली धनत्व त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया था जिसे संशोधित करते हुए 0.8 कर दिया गया है । हरियाली धनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न है ।
4	आनलाईन भाग–2, Additional information details में अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों का नाम Remark Column में अंकित नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा अतिरिक्त सूचना आनलाईन भाग–2 में अपलोड करते हुए अभ्युक्ति कालम में अंकित कर दिया गया है ।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण परियोजना से संबंधित जस्टिफिकेशन टिप्पणी पुनः प्रस्ताव के साथ संलग्न नही किया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा परियोजना से संबंधित जस्टिफिकेशन टिप्पणी संलग्न कर दी गयी है ।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में पूर्ण परियोजना का लागत –लाभ विश्लेषण पुनः प्रस्ताव के साथ संलग्न नही किया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक अभिकरण द्वारा परियोजना का लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न कर दिया गया है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

6.9.17

(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

<u>संख्या– अ/सम दिनांकित ।</u>

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–तृतीय, पिपरी–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या– 749 दिनांक– 26.08.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(ए0के0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट